विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 73

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		962.40	62.47	1024.87	703.04	60.37	763.41	348.02	61.70	409.72
पूंजी		*2637.60*	*...*	*2637.60*	*1696.96*	*...*	*1696.96*	*2651.98*	*...*	*2651.98*
जोड़		**3600.00**	**62.47**	**3662.47**	**2400.00**	**60.37**	**2460.37**	**3000.00**	**61.70**	**3061.70**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.00	9.61	10.61	1.00	9.61	10.61	1.00	9.86	10.86
विद्युत										
सामान्य										
2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	106.39	37.31	143.70	24.18	38.20	62.38	3.00	39.71	42.71
	4801	2.60	...	2.60	2.43	...	2.43	2.00	...	2.00
	जोड़	*108.99*	*37.31*	*146.30*	*26.61*	*38.20*	*64.81*	*5.00*	*39.71*	*44.71*
3. *अनुसंधान और विकास*										
3.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	2801	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	12.13	...	12.13
4. प्रशिक्षण										
4.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण अनुसंधान (एन पी टी आई)	2801	10.00	5.00	15.00	10.00	4.75	14.75	9.68	4.41	14.09
5. संयुक्त केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.24	...	1.24
6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	2801	...	9.55	9.55	...	6.71	6.71	...	7.32	7.32
7. विद्युत वित्त निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2801	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00	300.00	...	300.00
8. पावरग्रिड निगम को सहायता अनुदान	2801	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
9. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2801	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	...	...	...
10. वितरण सुधार के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता	2801	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	...	...	...
11. एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए परामर्शी प्रभार	2801	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	15.45	...	15.45
12. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा के लिए निधियां	2801	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
13. ग्रामीण विद्युतीकरण आपूर्ति प्रौद्योगिकी मिशन	2801	7.50	...	7.50	1.00	...	1.00	...	...	...
14. विद्युत रहित ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण	2801	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	...	...	...
15. ऊर्जा क्षमता का न्यास	2801	0.01	...	0.01	0.36	...	0.36	...	...	...
16. विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण	2801	...	...	...	...	0.10	0.10	...	0.20	0.20
17. दिल्ली को चोड़कर संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संयुक्त एसईआरसी की स्थापना	2801	...	...	...	...	...	...	...	0.15	0.15
18. विद्युत क्षेत्र हेतु व्यापक अवार्ड	2801	...	...	...	...	...	...	0.52	...	0.52
जोड़-सामान्य		**664.00**	**51.86**	**715.86**	**504.47**	**49.76**	**554.23**	**349.02**	**51.79**	**400.81**
ताप विद्युत उत्पादन										
19. बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र										
19.01 राजस्व व्यय	2801	...	1080.00	1080.00	...	1431.72	1431.72	...	1260.90	1260.90
19.02 घटाइए राजस्व व्यय	0801	...	-1079.00	-1079.00	...	-1430.72	-1430.72	...	-1260.85	-1260.85
निवल व्यय		*...*	*1.00*	*1.00*	*...*	*1.00*	*1.00*	*...*	*0.05*	*0.05*
पारेषण और वितरण										
20. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (कुटीर ज्योति)	2801	250.00	...	250.00	175.00	...	175.00	...	...	...
21. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए	2552	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	...	...	...
परियोजनाएं/योजनाएं	4552	879.07	...	879.07	778.49	...	778.49	924.00	...	924.00
जोड़ - विद्युत		*1843.07*	*52.86*	*1895.93*	*1482.96*	*50.76*	*1533.72*	*1273.02*	*51.84*	*1324.86*
22. अन्य कार्यक्रम										
22.01 एनएचपीसी तथा टीएचडीसी परियोजनाओं की आईडीसी को इक्विटी में बदलना	4801	...	...	...	640.28	...	640.28	...	...	...
22.02 ब्याज प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित कर बट्टे खाते डालना	0049	...	...	...	-640.28	...	-640.28	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
19. सरकारी उद्यमों में निवेश	4801	1755.93	...	1755.93	916.04	...	916.04	1725.98	...	1725.98
कुल जोड़		***3600.00***	***62.47***	***3662.47***	***2400.00***	***60.37***	***2460.37***	***3000.00***	***61.70***	***3061.70***

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2004-2005 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	संशोधित 2004-2005 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट 2005-2006 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
23.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	12801	...	4755.00	4755.00	...	4772.00	4772.00	...	8550.00	8550.00
23.02 राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम	12801	1141.93	1045.86	2187.79	727.99	1296.80	2024.79	1306.60	2185.36	3491.96
23.03 दामोदार घाटी निगम	12801	...	999.70	999.70	...	1087.71	1087.71	...	2373.51	2373.51
23.04 पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम	12801	...	265.00	265.00	...	90.00	90.00	...	372.79	372.79
23.05 नाथपा झाकरी विद्युत निगम	12801	...	592.00	592.00	...	459.76	459.76	...	407.70	407.70
23.06 टिहरी जल विकास निगम	12801	314.00	934.76	1248.76	9.05	700.00	709.05	...	656.29	656.29
23.07 पावरग्रिड निगम	12801	300.00	3438.00	3738.00	179.00	3234.79	3413.79	419.38	4368.25	4787.63
23.08 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए परियोजना/योजनाएं	12801	879.07	...	879.07	778.49	...	778.49	924.00	...	924.00
जोड़		**2635.00**	**12030.32**	**14665.32**	**1694.53**	**11641.06**	**13335.59**	**2649.98**	**18913.90**	**21563.88**
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना										
विद्युत	12801	2670.93	12030.32	14701.25	1596.51	11641.06	13237.57	2076.00	18913.90	20989.90
पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	929.07	...	929.07	803.49	...	803.49	924.00	...	924.00
जोड़		**3600.00**	**12030.32**	**15630.32**	**2400.00**	**11641.06**	**14041.06**	**3000.00**	**18913.90**	**21913.90**

1. सचिवालयः विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना मामले पर व्यय का प्रावधान है ।

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय करता है । यह सर्वेक्षण और अध्ययन करने तथा विद्युत संसाधनों के सृजन, वितरण, उपयोग और विकास से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करने और उनका रिकार्ड रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

3. अनुसंधान एवं विकासः केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर विद्युत पर अनुसंधान का कार्य करता है । यह संस्थान इलेक्ट्रिकल विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला की तरह कार्य करता है और वैद्युत उपस्करों और सामानों की जांच, मूल्यांकन तथा प्रमाणन के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की तरह भी कार्य करता है ।

4. प्रशिक्षणः इसमें राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, जो विद्युत केन्द्रों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देता है, पर व्यय के लिए प्रावधान है ।

6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगः ईआरसी अधिनियम, 1998 के उपबंध के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की है। केन्द्रीय आयोग अर्द्ध-न्यायिक दर्जे वाली एक सांविधिक निकाय है । संसद द्वारा पारित नया विद्युत अधिनियम, 2003 जिसे 2 जून, 2003 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया, 10 जून, 2003 से लागू हो गया है । इसमें स्थापना एवं टैरिफ मामलों पर व्यय हेतु प्रावधान किया गया है ।

7. पावर फाइनैंस कारपोरेशन को ब्याजगत सब्सिडीः त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजीएण्डएसपी) के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन योजनाओं, मिसिंग पारेषण लिंक आदि के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को ब्याजगत सब्सिडी दी जाती है । भारत सरकार ने एजीएण्ड एसपी स्कीम को 10वीं योजना में भी लागू रखने का फैसला किया है ।

11. एपीडीआरपी परियोजनाओं हेतु परामर्श शुल्कः एपीडीआरपी के अंतर्गत सलाहकार सह परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव को पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी, बिलीकरण में सुधार के लिए पेश किया गया है और राजस्व वसूली के लिए वितरण क्षेत्र के पुनःउद्धार हेतु आईटी, उपभोक्ता इन्डैक्सिग, जीआईएस मानचित्रण, स्काडा/डीएमएस आदि के क्षेत्रों में नई तकनीके अपनाने की आवश्यकता है ।

12. मूल्यांकन अध्ययनों और परामर्श हेतु निधियां- वितरण सर्किलों में ऊर्जा लेखा और बिलिंग सहित सब-पारेषण और वितरण नेटवर्क के उत्थान और सुदृढ़ीकरण से संबंधित विशेष परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु एक प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत निधियां चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएंगी । इसके लिए सलाहकार-सह-परामर्शदाताओं और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के साथ बातचीत की आवश्यकता होगी जिसके लिए स्वीकृत नगरों/शहरों और सर्किलों के नियमित क्षेत्र दौरों के साथ तीव्र संचार हेतु पीसी, इन्टरनेट सुविधाओं, टेलिफोन आदि के संदर्भ में ढ़ांचे की आवश्यकता होगी ।

16. विद्युत हेतु अपीलीय प्राधिकरणः विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत के लिए अपीलीय प्राधिकरण स्थापित किया है । यह प्राधिकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्णयकर्त्ता अधिकारी या समुचित आयोगों के आदेशों के खिलाफ किए गए अपीलों की सुनवाई करेगा ।

17. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना- इस योजना के अंतर्गत, एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग स्थापित किया जाएगा जिसमें पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम शामिल होंगे ।

23. सार्वजनिक उपक्रमों में निवेशः

23.01 *नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी)* : एन.टी.पी.सी. की स्थापना नवम्बर, 1975 में केन्द्रीय क्षेत्र में एक ताप विद्युत निमार्ण कम्पनी के रूप में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य कोलपिट हेड में सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना था।

23.02 नैशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारेपोरेशन (एनएचपीसी)- नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में जल-विद्युत परियोजनाओं को और तीव्रता, कुशलता और मितव्ययता से पूरा करने एवं प्रचालित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1975 में की गई थी । निगम ने अब तक केन्द्रीय क्षेत्र में 9 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच इंदिरा सागर नामक एक संयुक्त उद्यम परियोजना के प्रत्येक 150 मेगावाट की छः यूनिटों और तीन परियोजनाओं (एजेंसी आधार पर देवीघाट, कलपौंग और कुरीच) को पूरा किया है और इन परियोजनाओं को पूरा करके नवम्बर, 2004 के अंत तक 3304.35 मे. वा. की उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। निगम II वर्तमान में जम्मू व कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना (390 मेवा.), उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा परियोजना चरण-1 (280 मे. वा), सिक्किम में तीस्ता चरण- वी (510 मे. वा.), मणिपुर में लोकतक डाउनस्ट्रीम (90 मे. वा.), हिमाचल प्रदेश में पार्वती- II (800 मे. वा.), अरूणाचल प्रदेश में सुबानसिरि लोअर (2000 मे. वा.), जम्मू व कश्मीर में सेवा-II (120 मेवा) और पश्चिम बंगाल में तीस्ता लोअर बांध-III (132 मेवा) का निर्माण कार्य कर रहा है । उपरोक्त के अतिरिक्त एनएचपीसी भी दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं अर्थात इंदिरा सागर (250 मेवा) और औंकारेश्वर का एनएचडीसी के साथ निष्पादन कर रहा है ।

23.03 दामोदर वेली कारपोरेशन (डीवीसी): डीवीसी की स्थापना जुलाई 1948 में दामोदर घाटी में तापीय और पन बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल आपूर्ति, जल निकासी तथा सिचाई के प्रवर्तन और प्रचालन के लिए की गई थी ।

सं.73/विद्युत मंत्रालय

23.04. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको): नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1976 को पंजीकृत किया गया था जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत स्टेशनों की आयोजना, प्रवर्तन, जांच, सर्वेक्षण, डिजाइन निर्माण, उत्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण करना है । निगम ने 1130 मे. वा. कुल अधिष्ठापित क्षमता अर्जित कर ली है (जिसके प्रचालन में कोपिली जल विद्युत परियोजना से 150 मे. वा., कोपिली जल विद्युत परियोजना, प्रथम चरण विस्तार से 100 मे. वा., कोपिली जल विद्युत परियोजना द्वितीय चरण से 25 मे. वा., दोयांग जल विद्युत परियोजना, नागालैंड से 75 मे. वा., रंगानदी जल विद्युत परियोजना अरूणाचल प्रदेश से 405 मे. वा., असम गैस आधारित संयुक्त साईकल परियोजना से 291 मे. वा. और अगरतला गैस टरबाइन परियोजना से 84 मे. वा. शामिल है ।

23.06. टिहरी जल विद्युत विकास कारपोरेशन (टीएचडीसी): टिहरी में भागीरथी नदी और इसकी सहायक नदियों में जल संसाधनों के समेकित और कुशल समुपयोजन हेतु टिहरी जल विद्युत निगम का निगमीकरण भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में जुलाई 1988 में किया गया था । टीएचडीसी को टिहरी जल विद्युत परिसर (2400 मे. वा.) के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया है जिसमें (क) टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मेवा.) (ख) कोटेश्वर बांध और जल विद्युत परियोजना (400 मेवा.) तथा (ग) टिहरी पम्प स्टोरेज परियोजना (1000 मेवा.) शामिल है । वर्तमान में निगम टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मे. वा.) और कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना (400 मे. वा.) का क्रियान्वयन कर रहा है ।

23.07. पावरग्रिड कारपोरेशनः पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. को ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययिता के साथ क्षेत्रों के भीतर और बाहर विद्युत अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना और प्रचालन करने हेतु वर्ष 1989 में निगमित किया गया था । संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार एनटीपीसी, एनएचपीसी, नीपको और एनएलसी की पारेषण प्रणालियों को अप्रैल 1992 से पीजीसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया था । पावरग्रिड का पारेषण नेटवर्क देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 40% है ।